कार्यालय जनपद न्यायाधीश, गोरखपुर।

विज्ञप्ति

माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र संख्या–14/एडमिन 'डी' सेक्शन दिनांक 15.10.2022 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में सेवानिवृत्त सफाईकर्मियों की सीमित अवधि के लिये पुनर्नियुक्ति हेतु आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जाते है। चयन हेतु निर्धारित अर्हतायें एवं शर्तें माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की अधिकारिक वेबसाईट www.allahabadhighcourt.in एवं जनपद न्यायालय गोरखपुर की अधिकारिक वेबसाईट https://district.ecourts.gov.in/gorakhpur पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त नियुक्ति से संबंधित अन्य विवरण न्यायालय के सूचना पटट/केन्द्रीय नजारत से किसी भी कार्य दिवस पर प्राप्त की जा सकती है।

3/8/2023

(नीलू मोधा)
वरिष्ठ सदस्य चयन समिति/
ए0डी0जे0, कोर्ट सं0–1,
गोरखपुर।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– केन्द्रीय नाजिर, जनपद न्यायालय गोरखपुर दैनिक समाचारपत्रों में प्रकाशित करवाने हेतु।

2– केन्द्रीय नाजिर, जनपद न्यायालय, गोरखपुर को आवश्यक प्रचार प्रसार हेतु।

3– सिस्टम आफिसर, जनपद न्यायालय, गोरखपुर को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं जनपद न्यायालय, गोरखपुर की अधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड किये जानें हेतु।

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, गोरखपुर।

जनपद न्यायालय, गोरखपुर में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति के संबंध में सामान्य निर्देश

माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र संख्या–14 / एडमिन 'डी' सेक्शन दिनांक 15.10.2022 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में सेवानिवृत्त सफाईकर्मियों की सीमित अवधि के लिये पुनर्नियुक्ति हेतु आवेदन–पत्र निम्नलिखित सामान्य नियम एवं शर्तो के अधीन आमंत्रित किये जाते है :–

1– सेवानिवृत्त कर्मचारी की आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

2– सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति अधिकतम 1 वर्ष के लिये की जायेगी। पुनर्नियुक्त कर्मचारीगण की सेवाएं जिस पद के सापेक्ष की जायेगी वह पद सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा भरे जाने की दशा में संबंधित कर्मचारी की सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी।

3– पुनर्नियुक्त सेवानिवृत्त कर्मचारियो को उनके अंतिम आहरित - वेतन की धनराशि से वर्तमान पेंशन की धनराशि को घटाते हुये शेष धनराशि परिलब्धियों के रूप में देय होगी।

4– अभ्यर्थियों को अपने प्रार्थनापत्र के साथ उनके विरूद्ध कोई आपराधिक मामला लम्बित न होने और न ही किसी भी न्यायालय द्वारा उन्हें दोषसिद्ध किया गया है, संबंधित शपथपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

5– अभ्यर्थियों को दो सम्भ्रात व्यक्तियों द्वारा चरित्र प्रमाणपत्र आवेदनपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

6– अभ्यर्थियों को सेवा में पुनर्नियुक्ति के पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोरखपुर द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र नियुक्ति तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करना आवश्यक है।

7– पुनर्नियुक्ति हेतु साक्षात्कार की प्रक्रिया अपनाई जायेगी। अभ्यर्थी दिनांक 10.08.2023 तक आवेदनपत्र प्रस्तुत करेंगे तथा साक्षात्कार हेतु 14.08.2023 को प्रातः 10:00 बजे जनपद न्यायालय परिसर स्थित प्रशासनिक अनुभाग में उपस्थित होंगे।

8– साक्षात्कार हेतु उपस्थित व्यक्तियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

दिनांकः 03.08.2023

(आदर्श श्रीवास्तव)
सदस्य चयन समिति /
सिविल जज (सी0डि0)
गोरखपुर

(नीलू मोधा)
वरिष्ठ सदस्य चयन समिति /
ए0डी0जे0, कोर्ट सं0–1,
गोरखपुर।